रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

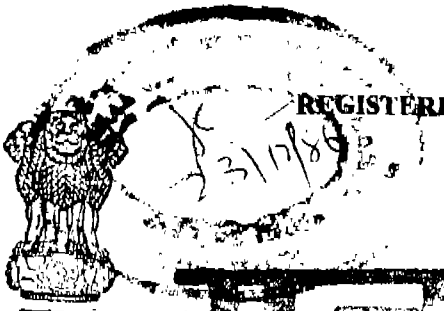

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1986 (कार्तिक 10, 1908)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1986 (KARTIKA 10, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	719
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1227
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1649
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	24683
भाग III—खण्ड 2—पैटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	681
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2009
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	153
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	719
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1227
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1649
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	24683
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	681
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2009
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	153
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० एफ-4(1)/85-रा० भा०—विधायी विभाग के संकल्प सं० एफ 4(1)/85 रा० भा०, दिनांक 29 जुलाई, 1985 के अनुक्रम में भारत सरकार ने गैर-सरकारी सदस्य श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, संसद सदस्य लोक सभा को विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में इन्द्र दीप सिन्हा संसद सदस्य की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके स्थान पर सेवा करने के लिए मनोनीत करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाए :—

प्रधान मंत्री का कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य विभाग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/योजना आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

क० सुब्रह्मण्यियम, संयुक्त सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० एफ 6(15)/86-का० स०—केन्द्रीय सरकार ने "विधिक सहायता कार्यान्वयन समिति" नाम से ज्ञात एक समिति गठित की है, देखिए दिनांक 25 सितम्बर, 1980 का संकल्प, सं० एफ० 6(19)/80-का० स०।

आरम्भ में उक्त समिति तीन वर्ष के लिए गठित की गई थी;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त समिति की संरचना को पुनरीक्षित करते हुए, समय-समय पर उसके कार्यकाल को 30 सितम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया था; देखिए तारीख 15 अक्तूबर, 1985 का संकल्प सं० एफ० 6(18)/85-का० स०;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त पुनर्गठित समिति का कार्यकाल 1 अक्तूबर, 1986 से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात्, 30 सितम्बर, 1987 तक के लिए बढ़ाने का विनिश्चय किया है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त पुनर्गठित समिति का कार्यकाल 1 अक्तूबर, 1986 से और एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 30 सितम्बर, 1987 तक के लिए बढ़ाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० के० कर्मा, सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० पा० 4(1)/86-हिन्दी—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या पा० 4(1)/85-हिन्दी, दिनांक 4 सितम्बर, 1985 के आंशिक आशोधन में, संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य, श्री रामचन्द्र भारद्वाज, के स्थान पर, डा० बल्लमपुरी जान, सदस्य, राज्य सभा (सदस्य, संसदीय राज भाषा समिति) इस समिति के सदस्य होंगे।

देवराज तिवारी, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1986

सं० 13019/1/86-जी० पी० (I)—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 13019/2/85-जी० पी० (1), दिनांक 14-5-1986 के अनुक्रम में राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली की गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति का 1-7-1986 से 31-3 1987 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

पदेन सदस्य :

1. प्रशासक, दादरा तथा नगर हवेली
2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य
3. अध्यक्ष, वरिष्ठ पंचायत।

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्रीमती लक्ष्मीबेन, रामुभाई घुसारा
2. श्री मोहन भाई संजी भाई वेल्कर
3. श्री हरजदभाई एच० दोसी
4. श्री फतेसिंह एम० चौहान
5. श्री आर० पी० महाला

बालेश्वर राय, विदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० 24-1/85-फ० प्र० 2—भारत सरकार ने दिनांक 21 अक्तूबर, 1982 के संकल्प संख्या 24-2-81-फ० प्र०-2 के द्वारा गठित और दिनांक 29 अगस्त, 1983 के संकल्प संख्या 24 2-81-फ० प्र०-2 के द्वारा आंशिक रूप से संशोधित भारतीय तम्बाकू विकास परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

I. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति

II. उपाध्यक्ष — कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली

III. सदस्य :

क. संसद सदस्य — संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से), जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जायेंगे।

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि, जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जायेंगे :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. तमिल नाडु
6. पश्चिम बंगाल
7. उड़ीसा
8. उत्तर प्रदेश

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि — क. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

ख. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि

ग. संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति

घ. अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुन्तुर

ङ. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति।

च. परियोजना समन्वयक (तम्बाकू) कृषि संस्थान, आनन्द, गुजरात

छ. निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री, आंध्र प्रदेश

ज. नागरिक आपूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि।

झ. कृषि और सहकारिता विभाग में तम्बाकू से सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि — मुख्य तम्बाकू उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप से नामजद किए जाने वाले आठ उत्पादक प्रतिनिधि :—

(प्रतिनिधियों की संख्या)

1. आंध्र प्रदेश	दो
2. बिहार	एक
3. गुजरात	एक
4. कर्नाटक	एक
5. महाराष्ट्र	एक
6. तमिल नाडु	एक
7. पश्चिम बंगाल	एक

ङ. व्यापार के प्रतिनिधि — व्यापार के तीन प्रतिनिधि जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

च. उद्योग के प्रतिनिधि — उद्योग के तीन प्रतिनिधि, जिनकी सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

छ. अन्य — कार्य कर्त्ताओं के लिए प्रतिनिधित्व

i. फार्म के कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिनिधि — एक

ii. कारखाने में कार्य कर रहे व्यक्तियों का प्रतिनिधि — एक

झ. ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति जो, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे।

IV. सदस्य सचिव — निदेशक, तम्बाकू विकास निदेशालय, 27, एडमस रोड, मद्रास।

V. प्रेक्षक — (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु परिषद के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि
2. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।
4. अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि
5. प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली
6. संयुक्त सचिव (व्यापार) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. तम्बाकू के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

2. तम्बाकू के उत्पादन तथा विपणन एवं तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना,

3. देशी तथा निर्यात मंडियों में तम्बाकू की मांग पर विचार करना और उचित विकास कार्यक्रमों के जरिए उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना,

4. तम्बाकू के उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय करने हेतु सुझाव देना,

5. तम्बाकू से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और तम्बाकू की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और

6. आवश्यक समझे जाने वाले अन्य सम्बन्धित मामलों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना।

3. परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, कार्यकारी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. परिषद की बैठक समय-समय पर तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

5 परिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाता। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद में उनके नामित होने की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाए।

6. संसद के सदस्यों में से नामित होने वाले परिषद के सदस्य संसद सदस्य न रहने पर परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० वी० मनोर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० 51-33/86-एल० डी० टी० (ए० एन०)—कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा गठित किये गये खुरपका और मुंहपका रोग सम्बन्धी कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार खुरपका और मुंहपका रोग के टीकों के मानकों और खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा और संशोधन करने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि टीका उत्पादन और इस रोग के नियंत्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सलाह देने के लिए खुरपका और मुंहपका रोग सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जाये।

इस समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :

1. पशु पालन आयुक्त	अध्यक्ष
2. परियोजना समन्वयक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की खुरपका और मुंहपका रोग सम्बन्धी अखिल-भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	सदस्य
3. भारतीय कृषि उद्योग संस्थान का प्रतिनिधि (विनिर्माता का प्रतिनिधि)	सदस्य
4. होएस्ट फार्मास्यूटिकल्स (विनिर्माता का प्रतिनिधि)	सदस्य
5. इंडियन इम्यूनोलोजीकल्स (विनिर्माता का प्रतिनिधि)	सदस्य
6. पशुपालन निदेशक, तमिलनाडु	सदस्य
7. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द का प्रतिनिधि	सदस्य
8. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक राज्य सहकारी दुग्ध, संघ, बंगलौर	सदस्य
9. संयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य)/पशुधन स्वास्थ्य निगरानी	सदस्य संयोजक

(3) खुरपका और मुंहपका रोग सम्बन्धी इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

1. देश में खुरपका और मुंहपका रोग के नियंत्रण संबंधी सभी मामलों पर भारत सरकार के मुख्य सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना।

(2) खुरपका और मुंहपका रोग टीका उत्पादन की विशिष्टियों पर लिए गए इनके निर्णयों पर कृषि मंत्रालय को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिश करना।

(3) मौजूदा, खुरपका और मुंहपका रोग प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला को पहचानना ताकि जब तक स्थायी राष्ट्रीय खुरपका और मुंहपका रोग संदर्भ प्रयोगशाला स्थापित नहीं की जाती, तब तक खुरपका और मुंहपका रोग वाइरस टाइप/सब-टाइप की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में सेवा की जा सके।

(4) खुरपका और मुंहपका रोग टीके के उत्पादन और गुणवत्ता नियन्त्रण प्रोटोकोल की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करना।

(5) खुरपका और मुंहपका रोग टीके के उत्पादन में उपयुक्त प्रभावी खुरपका और मुंहपका रोग वाइरस स्ट्रेनों का उपयोग करने के संबंध में सलाह देना।

4. राष्ट्रीय सलाहकार समिति जब भी आवश्यकता होगी तभी अपनी बैठक बुलाएगी, समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों का टी० ए०/डी० ए०, उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा। समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों, के सभी सचिवों, पशुपालन निदेशकों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जाए ।

बी० बी० महाजन
अपर सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० ई-11012/7/86-हिन्दी--ग्रामीण विकास विभाग में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार" नामक एक योजना आरम्भ करने का निश्चय किया है । इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मानक मूल पुस्तकों के लिए दो वर्षों में एक बार प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए के दिए जायेंगे ।

2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारत के लेखकों को प्रोत्साहित करना है ।

3. केवल उच्च स्तर की मूल पुस्तकों पर ही चाहे वे हस्तलिपि में हों या प्रकाशित रूप में, पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा ।

4. ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कार प्राप्त-कर्ताओं के चयन और इस प्रकार के चयन को शासित करने वाले नियम बनाने का अनन्य अधिकार होगा ।

5. पुरस्कार योजना में भारतीय लेखक भाग ले सकते हैं जिसमें बहु-लेखकों वाली पुस्तकों के वे सम्पादक भी शामिल हैं, जिन्होंने स्वयं भी उन पुस्तकों में पर्याप्त रूप से अंशदान किया हो, और साथ ही सम्पादकीय प्राक्कथन भी दिया हो । प्रकाशित पुस्तकों और लेखक द्वारा प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हस्तलिपियों, दोनों को ही स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि वे मूल रूप में लिखी गई हों और उनसे किसी अन्य व्यक्ति के कापी राइट का उल्लंघन न होता हो ।

6. लेखकों का मूल्यांकन पुरस्कार वाले वर्षों के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों/हस्तलिपियों के रूप में उनके द्वारा किए गए मूल लेखन के आधार पर किया जाएगा ।

7. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सर्वोत्तम पुस्तकों/हस्तलिपियों के चयन के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी ।

8. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग पुरस्कार प्रदान करने के लिए अंग्रेजी व हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में एक नोटिस देकर लेखकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे । ग्रामीण विकास विभाग अपनी ओर से किसी भी पुस्तक को पुरस्कार देने के बारे में विचारार्थ शामिल कर सकता है ।

9. लेखकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र तथा पुस्तकें अथवा हस्तलिपियां 5 प्रतियों में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजें । इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तकों/हस्तलिपियों की प्रतियां लेखकों को लौटाई नहीं जायेंगी ।

10. यदि इस पुरस्कार योजना में शामिल किसी मूल पुस्तक को किसी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका हो तो लेखक को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को भेजे जाने वाले अपने पत्र में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए ।

11. कोई भी लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है । तथापि, कोई भी लेखक दो वर्ष की अवधि विशेष में योजना के अन्तर्गत एक से अधिक पुरस्कार का हकदार नहीं होगा ।

12. यदि पुरस्कार प्राप्त किसी पुस्तक/हस्तलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि का भुगतान सभी लेखकों में बराबर वितरित किया जाएगा ।

13. यदि कोई भी पुस्तक/हस्तलिपि पुरस्कार/पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो पुरस्कार/पुरस्कारों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोक लिया जाएगा ।

14. पुरस्कार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष तौर पर आयोजित समारोह अथवा अन्य किसी अवसर पर प्रदान किए जाएंगे ।

15. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पुरस्कार प्रदान करने से काफी समय पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार के लिए उनके चुने जाने के बारे में सूचना देंगे ।

सामान्य :

1. जो लेखक पुरस्कार के लिए विचारार्थ अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा, उसका कापी राइट समाप्त नहीं होगा ।

2. पुस्तक के अनुवाद पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जायगा ।

3. यदि कोई उन प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है जो पुरस्कार की राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी संस्थान अथवा संगठन से सहायता लिए बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराए जाने के बाद ही किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

इन्द्रजीत खन्ना, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1986

सं० क्यू०-16011/3/86-डब्ल्यू०ई०--केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम (3) के अनुसरण में, भारत सरकार, जम्मू व-कश्मीर सरकार के श्रम सचिव और पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम सचिव को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है ।

2. तदनुसार भारत के राजपत्र के भाग I खंड I में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की दिनांक 15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या का०-16012 3/79/डब्ल्यू ई० में जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया, निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे ।

वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात् :--

,,5 सचिव, राजस्थान सरकार,
श्रम विभाग, जयपुर ।

,,6 सचिव,
आन्ध्र प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार,
पोषण और तकनीकी शिक्षा विभाग,
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) ।

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :--

,,5 आयुक्त व सचिव
जम्मू व कश्मीर सरकार,
श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग,
श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।

,,6 सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार,
श्रम विभाग, कलकत्ता,
(पश्चिम बंगाल) ।

आई० आर० बुराजा
श्रम और रोजगार सलाहकार

LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 8th October 1986

RESOLUTION

No. F.4(1)/85-OL.—In continuation of the Ministry of Law and Justice Resolution No. F.4(1)/85-OL, dated 29th July, 1985 the Government of India have decided to nominate Shri Naresh Chandra Chaturvedi, Member of Lok Sabha to serve as non-Official member of Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Law and Justice in place of Shri Indra Deep Sinha who has since retired from the membership of Rajya Sabha.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat/Department of Parliamentary Affairs/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Planning Commission/President's Secretariat/Director of Audit, Central Revenues, New Delhi and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October 1986

No. F.6(15)/86-IC.—WHEREAS the Central Government constituted a Committee to be known as "The Committee for Implementing Legal Aid Schemes", *vide* Resolution No. F.6(19)/80-IC, dated 25th September, 1980;

AND WHEREAS the said Committee was constituted for three years in the first instance;

AND WHEREAS the Central Government had extended the term of the said Committee from time to time upto 30th September, 1986 with revised composition *vide* Resolution No. F.6(18)/85-IC dated 15th October, 1985.

AND WHEREAS the Central Government has decided to extend the term of the said reconstituted Committee for a further period of one year beyond 1st October, 1986 *i.e.* upto 30th September, 1987;

Now, therefore, the Central Government hereby extends the term of the said reconstituted Committee for a further period of one year beyond 1st October, 1986 *i.e.* upto 30th September, 1987.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. KARTHA, Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 8th October 1986

RESOLUTION

No. F.4(1)/86-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F.4(1)/85-Hindi dated the 4th September, 1985, Dr. Valampuri John, Member, Rajya Sabha, (Member, Parliamentary Committee on Official Language) will be the Member of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs *vice* Shri Ram Chandra Bhardwaj.

D. R. TIWARI, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th October 1986

No. 13019/1/86-GP(I).—In continuation of this Ministry's Notification No. 13019/2/85 GP(I) dated 14-5-1986 the President is pleased to reconstitute the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli for the period from 1-7-1986 to 31-3-1987 with the following members :—

Ex-Officio Members :

(i) Administrator, Dadra & Nagar Haveli,
(ii) Member of Parliament representing the Union Territory.
(iii) The Chairman, Varishta Panchayat.

Non-Official Members :

(i) Smt. Laxmiben Ramubhati Bhusara,
(ii) Shri Monanbhai Sanjibhai Delkar,
(iii) Shri Harshadbhai H. Doshi,
(iv) Shri Fatesinh M. Chauhan,
(v) Shri R. P. Mahala.

BALESHWAR RAI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

New Delhi, the 12th September 1986

RESOLUTION

No. 24-1/85-C.A.II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Tobacco Development Council constituted vide Resolution No. 24-2/81-C.A.II dated the 21st October, 1982 and partially modified vide Resolution No. 24-2/81-C.A.II dated the 29th August, 1983. The reconstituted Council will be composed as follows :—

CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

Vice Chairman

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

MEMBERS

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Andhra Pradesh
(ii) Bihar
(iii) Gujarat
(iv) Karnataka
(v) Tamil Nadu
(vi) West Bengal
(vii) Orissa
(viii) Uttar Pradesh

C. Representatives of Central Government

(a) One representative of the Planning Commission.

(b) One representative of the Ministry of Commerce.

(c) Joint Secretary (Extension), Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.

(d) Chairman, Tobacco Board Guntur.

(e) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

(f) Project Coordinator (Tobacco) Institute of Agriculture, Anand, Gujarat.

(g) Director, Central Tobacco Research Institute, Rajahmundry, Andhra Pradesh.

(h) One representative of the Department of Civil Supplies.

(i) Joint Commissioner, dealing with Tobacco in the Department of Agriculture and Cooperation.

D. *Representatives of Growers*

Eight Growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the major Tobacco growing States as follows :—

	(No. of representatives)
(i) Andhra Pradesh	Two
(ii) Bihar	One
(iii) Gujarat	One
(iv) Karnataka	One
(v) Maharashtra	One
(vi) Timal Nadu	One
(vii) West Bengal	One

E. *Representatives of Trade*

Three representatives of Trade to be recommended by the Ministry of Commerce.

F. *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry as recommended by the Ministry of Commerce.

G. *Others*

Representation to workers;

(i) Engaged in farms—One.

(ii) Engaged in factory—One.

H. *Such Additional Persons as may from time to time be nominated by the Government of ndia*

IV. *Member Secretary*

The Director,

Directorate of Tobacco Development 27, Eldams Road, Madras.

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations).

(i) Chairman, State Trading Corporation or his representative.

(ii) Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development or his representative.

(iii) Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation.

(iv) Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi or his nominee.

(v) Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, New Delhi.

(vi) Joint Secretary (Trade), Ministry of Agriculture Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Tobacco, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of tobacco.

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of tobacco and remunerative prices to tobacco growers and advise Government in these matters;

(iii) To consider demands for tobacco in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of tobacco production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between research and development programme relating to tobacco and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of tobacco; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and Ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which tobacco is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. SHENOI, Addl. Secy.

New Delhi, the 29th September 1986

RESOLUTION

No. 51-33/86-LDT-(LH).—The question of reviewing and revising the standards of Foot and Mouth Disease (FMD) vaccines and the existing legislations relating to control of FMD as recommended by the Task Force on Foot and Mouth Disease, set up by the Department of Agriculture and Co-operation, has been under consideration of the Government of India. It has now been decided to constitute a National Advisory Committee on Foot and Mouth Disease for reviewing all aspects relevant to vaccine production and control of this disease.

2. The composition of this Committee would be as under :—

Chairman

1. Animal Husbandry Commissioner.

Members

2. Project Co-oprdinator, ICAR's All India Coordinated Research Project on FMD.
3. Representative of Bharatiya Agro-Industries Foundation, (Manufacturer's representative).
4. Representative of Hoechst Pharmaceuticals, (Manufacturer's representative).
5. Representative of Indian Immunologicals, (Manufacturer's representative).
6. Director of Animal Husbandry, Tamil Nadu.
7. Representative of NDDB, Anand.
8. Managing Director, Karnataka State Co-operative Milk Federation, Bangalore.

Member-Convenor

9. Joint Commissioner (Livestock Health/Livestock Health Surveillance).

3. The terms of reference of this National Advisory Committee on Foot and Mouth Disease would be as follows :—

(1) To act as the principal advisory body to the Government of India on all matters related to the control of FMD in the country.

(2) To recommend follow-up action to the Ministry of Agriculture on its decisions taken on the recommendations of the Task Force on FMD.

(3) To identify one of the existing FMD laboratories to serve as the National Reference Laboratory for confirmation of FMD virus types/sub-types till a permanent National FMD Reference Laboratory is established.

(4) To review and recommend revision of the production and quality control protocols of FMD vaccine.

(5) To give advice on suitable FMD virus seed strains to be incorporated in the production of FMD vaccine.

4. The National Advisory Committee shall meet as often as required. For attending the meetings of the Committee, the TA/DA of the Members would be met from their respective Departments/Organisations. The Headquarters of the Committee will be at Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Secretaries, Directors of Animal Husbandry in the State Governments and Union Territories; Departments and the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

B. B. MAHAJAN, Addl. Secy.

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th September 1986

RESOLUTION

No. E.11012/7/86-Hindi.—The Government of India in the Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture have decided to introduce a scheme, namely "Gramin Vikas Sahitya Puruskar" for giving awards to authors writing original books in Hindi pertaining to the subjects coming within the purview of Deptt. of Rural Development. The main features of the scheme are as follows :—

1. First Pizre of Rs. 10,000, Second Prize of Rs. 7,000 and Third Prize of Rs. 5,000 will be given once in two years for standard original books in Hindi on the subjects coming within the purview of Deptt. of Rural Development.
2. The objective of the scheme is to encourage authors in India to write original books in Hindi on the subjects coming within the purview of Deptt. of Rural Development.
3. Only standard original books whether in manuscript or published, will be taken into consideration for the award of prizes.
4. The Deptt. of Rural Development shall have the sole right of selection of the recipient of the awards and the formulation of the rules governing such selection.
5. The award is open to Indian Authors including Editors of multi-author books where the Editor has himself contributed substantially together with an editorial preface. Both published books and manuscripts proposed to be published by itself author will be accepted provided that such work is written originally and does not infringe the copy right of any other person.
6. The authors shall be judged on the basis of the original work done by them as revealed in the book(s)/manuscripts submitted by them during the past one year preceding the years of award.
7. There will be an Evaluation Committee to select the best books/manuscripts suitable for the award of prizes.
8. The Secretary, Deptt. of Rural Development will invite applications for award of prizes from authors through notice published in leading newspapers in English and Hindi. The Deptt. of Rural Development may on its own, include for consideration any book for the award of the prize.
9. The authors will be required to submit their applications and the book(s) or manuscript, in quintuplicate, addressed to the Secretary, Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture, New Delhi. Copies of the books/manuscripts so submitted shall not be returned to the authors.
10. If an original work entered in this award has already been awarded a prize under any scheme, this fact should be clearly stated by the author in the forwarding letter to the Secretary, Deptt. of Rural Development.
11. Any author may submit more than one entry for the award of prize. No author shall, however, be entitled to the award for more than one prize under the scheme in any particular block of two years.
12. If there is more than one author of an awarded book/manuscript, the amount of the prize will be distributed equally amongst the co-authors.
13. The award of the prize/prizes shall be withheld by the Deptt. of Rural Development if no book/manuscript is adjudged to qualify for the award of the prize/prizes.
14. The prizes will be awarded at a function to be specially organised by the Deptt. of Rural Development or any other suitable occasion.
15. In good time prior to the presentation of awards, the Secretary of the Deptt. of Rural Development shall notify the award to the recipients of their selection

General

1. The author who submits his book for being considered for the awards of a prize shall not lose his copyright therein.

2. The translation of a book shall not be considered for the award of a prize.

3. If an unpublished work is selected for a prize, the prize money shall be paid only after the book has been published by the author without any asistance from the Central Govt., State Government or any Institution or Organisation receiving aid from any of the Government aforesaid.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Government/Union Territories and all the Ministries and Department of the Government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

INDERJIT KHANNA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th October 1986

No. Q-16011/3/86-WE.—In pursuance of Rule 3 (vi) of the Rules and Resolutions of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint the Labour Secretary to the Government of Jammu and Kashmir and the Labour Secretary to the Government of West Bengal as members on the C.B.W.E. for a period of two years from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/3/79-WE dated the 15th May, 1981 published in the Gazette of India, Part-I, Section-1, as amended from time to time.

For the existing entry viz :—

"5. Secretary to the Government of Rajasthan, Labour Department, Jaipur."

6. Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment, Nutrition and Technical Education Department, Hyderabad (A.P.)."

The following entry shall be substituted viz :—

"5. Commissioner-cum-Secretary to the Government of Jammu & Kashmir, Labour, Stationery and Printing Department, Srinagar (J.K.).

6. Secretary to the Government of West Bengal, Labour Department, Calcutta (W.B.)"

I. R. KHURANA,
Labour and Employment Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986